

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/समायोजन कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर कॉलम संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Post	Employee ID	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of Deputed Place	District	Range	Name of School	District	Range
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RAJESH KUMAR SHARMA	Lab Assistant (III Gr.)	RJTO201836002280	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, LAWAN, DAUSA (218083)	DAUSA	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAWANDIA (218693)	JAIPUR	JAIPUR
2	HARISH KUMAR	Senior Teacher (II Gr.) (Social Science)	RJBR202004029187	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, ATRU, BARAN (216965)	BARAN	KOTA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANGANIALA BANSIYAL (485976)	JHUNJHUN	CHURU
3	SATYAPAL	Senior Teacher (II Gr.) (Mathematics)	RJL202021028633	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, UMRAIN, ALWAR (225374)	ALWAR	JAIPUR	SHAHID HOSHIYAR SINGH YADAV GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAJARA AHEER (215754)	ALWAR	JAIPUR
4	SOBHAGY AWATI	Senior Teacher (II Gr.) (Sanskrit)	RJRA200831011326	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SRI NAGAR, AJMER (225439)	AJMER	AJMER	APO- OFFICE OF JOINT DIRECTOR, SCHOOL EDUCATION, JAIPUR RANGE, JAIPUR	JAIPUR	JAIPUR
5	RENU SINGHAL	Librarian (III Gr.)	RJRA201731038487	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, BASERI, DHAULPUR (225397)	DHAULPUR	BHARATPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL G.S.S.PACHGAON (211722)	DHAULPUR	BHARATPUR
6	BAS RAM MALI	Senior Teacher (II Gr.) (Hindi)	RJJO201624030036	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, BOUNLI, S.MADHOPUR (225419)	S.MADHOPUR	BHARATPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NADI WALI DHANI KIRADI (463666)	DAUSA	JAIPUR

7	GAUTAM GIRI	Lab Assistant (III Gr.)	RJPA20182 9003156	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, LUNI, JODHPUR (219627)	JODHPUR	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHADLA (211420)	BIKANER	BIKANER
8	ANITA KUMARI	PET (II Gr.)	RJRA20133 1038671	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, NEWAI, TONK (222044)	TONK	AJMER	SMT. GAURAN DEVI CHAUDHARY GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGWARA (218621)	JAIPUR	JAIPUR

उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- 1 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिक को उसके पद के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे, अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 राजस्थान स्वैच्छ ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिक को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5 यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे, परन्तु उक्त शर्त स्थानीय स्थानान्तरण/समायोजन में लागू नहीं होगी।
- 6 स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- 7 कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वयं से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-8 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- 8 नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित कार्मिक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अन्वयित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 9 स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 10 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 11 उक्त आदेश उच्च स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविर/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/बोल-2/2022

दिनांक:- 20/12/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को अनुमोदन हेतु।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अनुमोदन हेतु।
- 6 स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 7 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- 10 संबंधित कार्मिक _____।
- 11 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/समायोजन/पदस्थापन कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर कॉलम संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Post	Employee ID	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of Deputed Place	District	Range	Name of School	District	Range
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DEVENDRA KUMAR JOSHI	Mathematics	RJP200618008368	Office of Joint Director, School Education, Jaipur Range, Jaipur (Shala Darpan cell)	JAIPUR	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMYAWALA WAS NETAWALA (224907)	JAIPUR	JAIPUR

उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावें :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को उसके पद के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे, अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिक को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे, परन्तु उक्त शर्त स्थानीय स्थानान्तरण/समायोजन में लागू नहीं होगी।
- स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित कार्मिक की वरिष्ठता के सम्यन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिशा में से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- उक्त आदेश उच्च स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/बोल-2/2022

दिनांक:- 29/11/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को अनुमोदन हेतु।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अनुमोदन हेतु
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
- संबन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर